कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–62/2022– 420 **दिनांक :** 05/06/2023

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/दुमका वन प्रमंडल, दुमका/ खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/राँची वन प्रमंडल, राँची।।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2023–24 में "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत Bee Keeping and Honey Processing हेतु Bee Boxes का क्रय, रख–रखाव एवं प्रशिक्षण तथा रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का द्वितीय वर्ष हेतु **रू0 82.818 लाख (बेरासी लाख इक्कासी हजार आठ सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0 ब0–36/2020–20/स्वी0 व0प0 दिनांक 20.01.2023 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0–36/2020–12/OA व0प0 दिनांक 18.05.2023।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष–09 लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 82.818 लाख (बेरासी लाख इक्कासी हजार आठ सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110209000103	24.482
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110209000323	57.836
प्रशिक्षण	19S24060110209000335	0.500
कुल :–		**82.818**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1(क एवं ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060110209000103, 19S24060110209000323, 19S24060110209000335 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक–1800/वि0, दिनांक–15.07.2003 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरुप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

6. (i) जिले में पदस्थापित 2 (दो) वन प्रमंडल पदाधिकारी की एक समिति को योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण का दायित्व प्रदान करेंगे तथा कार्य की गुणवता पर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।

(ii) कार्य योजना के अनुरुप योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे तथा योजना के कार्यान्वयन से विभाग को अवगत करायेंगे।

(iii) Regeneration Sites विकसित करने के क्रम में Web portal के माध्यम से Geo taggaing कराने से संबंधित योजना पर कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाय।

7. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जा जाएगा।

(VI) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VII) सभी भुगतान यथासंभव DBT या सीधे बैंक खाते/डाकघर के माध्यम से किया जायेगा।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(IX) कंडिका– VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

8. **(i)** मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

9. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

11. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वितीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत स्थायी अनुदेश सं0–1681 दिनांक–08.06.2015 एवं समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

14. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

15. वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1681 दिनांक–10.06.2015 की कंडिका–3 अनुसार इस योजनान्तर्गत आवंटित राशि में से 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक 50 प्रतिशत तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक शेष 50 प्रतिशत की निकासी की जायेगी।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–**01/यो0ब0–62/2022–** 420 दिनांक– 05/06/2023

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/राँची/मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य समन्यवक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/राँची/इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/पी0एम0यू0सेल, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–**01/यो0ब0–62/2022–** 420 दिनांक– 05/06/2023

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/दुमका/खूँटी/ डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक– 1(क)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत Bee Keeping and Honey Processing हेतु Bee Boxes का क्रय, रख–रखाव एवं प्रशिक्षण से संबंधित प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कार्य विवरणी	वित्तीय लक्ष्य			
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण मद	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	**F.Y. 2023-24**				
		Temporary Expenses	2.350	4.620	0.000	6.970
		Contigency Cost	0.140	0.000	0.000	0.140
		योग :–	**2.490**	**4.620**	**0.000**	**7.110**
2	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	**F.Y. 2023-24**				
		Temporary Expenses	2.350	4.620	0.000	6.970
		Contigency Cost	0.140	0.000	0.000	0.140
		योग :–	**2.490**	**4.620**	**0.000**	**7.110**
सकल योग :–			**4.980**	**9.240**	**0.000**	**14.220**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक-- 1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का द्वितीय वर्ष का प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 346.01 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय लक्ष्य			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**	**vii**	**viii**
1	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	125	12500	9.751	24.298	0.250	34.299
2	राँची वन प्रमंडल, राँची	125	12500	9.751	24.298	0.250	34.299
	कुल योग :–	**250**	**25000**	**19.502**	**48.596**	**0.500**	**68.598**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका

रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर

लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार)

(रू० लाख में)

क्र0 सं०	कार्य का विवरणी	दर	द्वितीय वर्ष 2023–24 मजदूरी प्रति मानव दिवस 346.01					अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	
1	वृक्षो का चिह्नांकन	रू० 2.98 प्रति वृक्ष		0.000	0.000	0.000	0.000	प्रति लाभुक परिवार 10 पलाश के वृक्षों का चिन्हांकन किया जाएगा। जिसे 5–5 वृक्षों के दो सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट–1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट –2 के वृक्षों की कटाई–छटाई फरवरी/मार्च माह में की जाएगी।
2	प्रशिक्षण							
	(क) हितग्राही परिवारों के एक–एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रू0 प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक–एक शिक्षित सदस्य /प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी					0.000	
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रू० 1775/– प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट					0.000	प्रथम वर्ष फरवरी/मार्च में सेट–1 के 6250 वृक्षों की कटाई–छटाई (50 वृक्ष प्रति 10 लाभुक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट–2 के वृक्षों की कटाई–छटाई की जाएगी।
4	वृक्षों की कटाई–छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	6250 वृक्ष	4.325			4.325	
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम से 1.00 कि०ग्रा० प्रति वृक्ष; रू० 200.00 प्रति कि०ग्रा०	6250 वृक्ष		12.500		12.500	बीहन लाह का क्रय निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष	6250 वृक्ष	1.081			1.081	क्रय किए गए बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में बीहन लाह का संचारण सेट–1 के वृक्षों पर किया जाएगा तथा तृतीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में सेट–2 के वृक्षों पर संचारण किया जाएगा। जिसके लिए सेट–1 के वृक्षों से प्राप्त
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रू० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	6250 वृक्ष		1.875		1.875	
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रू0			7.500		7.500	
9	फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	6250 वृक्ष	0.865			0.865	
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250		0.250	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रू0 प्रति माह	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड/प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)				0.500		0.500	
	कुल योग–			*9.751*	*23.625*	*0.250*	*33.626*	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	.@ 2 % of Project cost			0.673		0.673	
	सकल योग–			9.751	24.298	0.250	34.299	

नोट : वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर 346.01 रुपये प्रति मानव दिवस के आधार पर योजना का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-62/2021/420 दिनांक - 05-Jun-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110209000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	31936	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 03 - मजदूरी	249,000.00 रुपये दो लाख उनचास हजार
2	S 19 24060110209000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	31938	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	249,000.00 रुपये दो लाख उनचास हजार
3	S 19 24060110209000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	31939	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	975,100.00 रुपये नौ लाख पचहत्तर हजार एक सौ

योग: रुपये चौदह लाख तीहत्तर हजार एक सौ 1,473,100.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCE DEV JHARKHAND
RANCHI

 106.206.194.11 Run Date: 5/6/2023

पत्र संख्या - 01/YB-62/2021/420 दिनांक - 05-Jun-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110209000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	31940	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 03 - मजदूरी	975,100.00 रुपये नौ लाख पचहत्तर हजार एक सौ
5	S 19 24060110209000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	31943	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	462,000.00 रुपये चार लाख बासठ हजार
6	S 19 24060110209000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	31945	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	462,000.00 रुपये चार लाख बासठ हजार

योग: रुपये तैंतीस लाख बहत्तर हजार दो सौ 1,899,100.00

क्रमिक योग: 3,372,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 106.206.194.11 Run Date: 5/6/2023

पत्र संख्या - 01/YB-62/2021/420 दिनांक - 05-Jun-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110209000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	31946	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,429,800.00 रुपये चौइस लाख उन्तीस हजार आठ सौ
8	S 19 24060110209000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	31948	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,429,800.00 रुपये चौइस लाख उन्तीस हजार आठ सौ
9	S 19 24060110209000335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	31951	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 35 - प्रशिक्षण व्यय	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार

योग: रुपये बयासी लाख छप्पन हजार आठ सौ 4,884,600.00

क्रमिक योग: 8,256,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 106.206.194.11 Run Date: 5/6/2023

पत्र संख्या - 01/YB-62/2021/420 दिनांक - 05-Jun-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110209000335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	31952	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 35 - प्रशिक्षण व्यय	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार

योग: 25,000.00

रुपये बयासी लाख इक्कयासी हजार आठ सौ

क्रमिक योग: 8,281,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

 106.206.194.11 Run Date: 5/6/2023